न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/67 दायरा दिनांक : 10.06.2024

उनवान

1– जमील आत्मज लतीफ, जाति मुसलमान, (मृतक) जरिये कायम मुकाम–
1/1 जहीद आत्मज जमील, जाति मुसलमान
1/2 जफर आत्मज जमील, जाति मुसलमान
1/3 अब्दुल कय्यूम आत्मज जमील, जाति मुसलमान
1/4 हुसैना बी पुत्री जमील, जाति मुसलमान
अकवाम निवासीगण ग्राम डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
2– शकील उम्र 50 वर्ष आत्मज लतीफ, जाति मुसलमान, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड .... अपीलांट

बनाम

1. अब्दुल हमीद उम्र 50 वर्ष वल्द अब्दुल हफीज, जाति मुसलमान, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
2. रईसाबाई उम्र 60 वर्ष पुत्री अब्दुल हफीज, पत्नी बाबू खां, जाति मुसलमान, निवासी तहसील के पास बडोद, तहसील बडोद मध्य प्रदेश
3. नक्को बाई उम्र 58 वर्ष पुत्री अब्दुल हफीज, पत्नी अहसान खां, जाति मुसलमान, निवासी नई दिल्ली नागदा पुल के पास, नागदा मध्य प्रदेश –
4. हन्नो बी (हन्नो आया) उम्र 56 साल पुत्री अब्दुल हफीज, पत्नी बाबू खां, जाति मुसलमान, निवासी बकरामंडी, कोटा राज०
5. नूर बानो पुत्री अब्दुल हफीज पत्नी भरूयू खा (मृतक) जर्ये कायममुकाम–
   5/1–इमरान आत्मज भय्यू खां जाति मुसलमान
   5/2–फुरकान आत्मज भय्यू खां, जाति मुसलमान
   5/3–गुफरान आत्मज भय्यू खां, जाति मुसलमान
   5/4–हिना बी पुत्री भय्यू खां जाति मुसलमान
   अकवाम–निवासीगण – पटेलवाडी, आगर मध्य प्रदेश
6. राजा खान उम्र 30 वर्ष आत्मज रसीद खां, जाति मुसलमान
7. रईस खां उम्र 28 साल आत्मज रशीद खां, जाति मुसलमान
8. सायरा बानो उम्र 22 साल पुत्री रशीद खां, जाति मुसलमान–
9. शाहिदा बानो उम्र 20 साल पुत्री रशीद खां, जाति मुसलमान
10. जाहिदा बानो उम्र 19 साल पुत्री रशीद खां, जाति मुसलमान
11. रानू बी उम्र 18 वर्ष पुत्री रशीद खां, जाति मुसलमान
12. शानू बी उम्र 16 वर्ष पुत्री रशीद खां, जाति मुसलमान जर्ये वली माता हसीना बी पत्नी रशीद खां, जाति मुसलमान
13. हसीना बी उम्र 50 साल पत्नी रशीद खां, जाति मुसलमान
14. कय्यूम उम्र 30 वर्ष, आत्मज रफीक, जाति मुसलमान
15. फय्यूम उम्र 28 साल आत्मज रफीक, जाति मुसलमान
    अकवाम निवासीगण डग, जिला झालावाड राज०
16. ताहिरा उम्र 20 साल पुत्री रफीक पत्नी आजाद खां, जाति मुसलमान, निवासी डागपुरा बडौदा, तहसील बडौदा मध्य प्रदेश

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

17. मुमताज उम्र 18 साल पुत्री रफीक खां, जाति मुसलमान, निवासी डग, तहसील गंगधार
18. अहसान आत्मज अकरम (मृतक) जर्ये कायममुकाम–
    18/1 नक्को बी पत्नी अहसान, जाति मुसलमान –
    18/2–सादिक आत्मज अहसान, जाति मुसलमान
    18/3–सिद्धीक आत्मज अहसान, जाति मुसलमान
    18/4–शमशाद पुत्री अहसान, जाति मुसलमान
    18/5–सेहरीन पुत्री अहसान, जाति मुसलमान
    अकवाम निवासीगण पडासलिया रोड, नागदा मध्य प्रदेश
19. मोहसीन उम्र 58 साल वल्द अकरम, जाति मुसलमान
20. हकीम उम्र 55 साल वल्द अकरम, जाति मुसलमान
    अकवाम निवासीगण नई दिल्ली पुल के पास, नागदा मध्यप्रदेश
21. सलीम वल्द अकरम (मृतक) जर्ये कायममुकाम–.
    21/1–शहनाज बी पत्नी सलीम, जाति मुसलमान
    21/2–अलीम वल्द सलीम, जाति मुसलमान
    21/3–रजिया पुत्री सलीम, जाति मुसलमान
    24/4 सुल्ताना पुत्री सलीम, जाति मुसलमान
    अकवाम–निवासीगण श्रीराम कालोनी, नागदा मध्य प्रदेश
22. बाबू भाई उम्र 48 साल आत्मज अकरम, जाति मुसलमान, निवासी नवरंग इलेक्ट्रोनिक वाले, जवाहर मार्ग, नागदा मध्य प्रदेश
23. यासीन आत्मज अकरम (मृतक) जर्ये कायम मुकाम–
    23/1 सेराज बी पत्नी यासीन, जाति मुसलमान, निवासी नई दिल्ली पुल के पास, नागदा मध्य प्रदेश
24. चब्बूबाई पुत्री अकरम पत्नी सरदार खां (मृतक) जर्ये कायममुकाम–
    24/1 मेहमूद आत्मज सरदार खां, जाति मुसलमान
    24/2 मुबारिक आत्मज सरदार खां, जाति मुसलमान
    24/3 गुड्डू आत्मज सरदार खां, जाति मुसलमान
    अकवाम–निवासीगण सोनकच मध्य प्रदेश
25. रज्जाक खां आत्मज याकूब खां (मृतक) जर्ये कायममुकाम–
    25/1 इंसाफ बी पत्नी रजाक, जाति मुसलमान
    25/2 नन्ने खां वल्द रजाक, जाति मुसलमान
    25/3 सलीम वल्द रजाक, जाति मुसलमान
    25/4 हसीना बी पुत्री रजाक, जाति मुसलमान
    25/5 गमा बी पुत्री रजाक, जाति मुसलमान
    25/6 कल्लो बी पुत्री लतीफ पत्नी रसीद, जाति मुसलमान
    अकवाम–निवासीगण तराना मध्य प्रदेश
26. छुट्टन बाई उम्र 63 साल पुत्री लतीफ पत्नी रसीद, जाति मुसलमान, निवासी बडौदा, तहसील बड़ौदा मध्य प्रदेश
27. नर्गिस बी पत्नी सईद खां, जाति मुसलमान, निवासी गुलजार कॉलोनी, बडौद मध्यप्रदेश
28. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय तहसील गंगधार .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपस्थित – श्री सी. पी. खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बृज बिहारी गोचर अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, श्री अशोक कुमार बादल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 6, 7, 14, 15 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 30.01.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 00067/2017 निर्णय दिनांक 08.05.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. एवं सपठित धारा 207 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम डग, तहसील गंगधार में जमाबंदी संख्या नई 41 संवत 2068 से 2071 में खसरा नं. 1047 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं. 1048 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं. 1059 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 1060 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नं. 1061 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 1062 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 1074 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं. 1075 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 1078 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं. 1079 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नं. 1084 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 1120 रकबा 2 बीघा, खसरा नं. 1125 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 1126 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं. 1129 रकबा 18 बिस्वा कुल 21 बीघा 9 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपने निर्णय दिनांक 08.05.2024 से प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. सपठित धारा 207 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/रेस्पोडेंट कम 1, 7, 14, 15 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत आदेश–7 नियम 11 व धारा 151 सी पी सी सपठित धारा 207 आर टी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनी प्रावधानों के विपरीत स्वीकार कर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के अपीलान्ट का वाद पत्र विधि से वर्जित होना मान लिया जबकि कानूनन अपीलान्ट के वाद को प्राथमिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि तथ्य एवं विधि के प्रश्न पर विवाद्यक विरचित कर साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर प्रकरण का मेरिट पर निर्णय करना चाहिये था अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश–7 नियम 11 क्लोज डी के प्रावधानों पर उचित गोर नहीं फरमाकर निर्णय जेर अपील पारित किया है जो अवैधानिक है। अपीलान्ट के द्वारा अपना दावा विवादित आराजी वाके ग्राम डग की खसरा नंबर 1047, 1048, 1059, 1060, 1061, 1062, 1074, 1075, 1078, 1079, 1084, 1120, 1125, 1126, 1129 कुल 21 बीघा 9 बिस्वा आराजी के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा व बंटवारे का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर. टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया था जिसकी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सुनवाई करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को ही था और दावे में वर्णित तथ्यों को निस्तारण बाद साक्ष्य ही किया जा सकता था, वर्णित तथ्य का निस्तारण प्रारम्भिक स्तर पर कर अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। अपीलान्ट ने दावे में पेज कम–3 पर जो सजरा अंकित किया था उसके मुताबिक याकूब खां व लतीफ खां की भी मृत्यु हो चुकी थी ऐसी स्थिति में मुताबिक सजरा अकरम, हफीज खां, लतीफ, रजाक का 1/4–1/4 हिस्सा एवं लतीफ की जगह वादीगण एवं प्रतिवादी कम–26 का विवादित आराजी मे मुस्लिम विधि अनुसार 1/4 हिस्सा बनता था ऐसी स्थिति में उत्तराधिकार के आधार पर अपने अधिकारों की घोषणा के लिये अपीलान्ट/वादी का वाद किसी भी कानून से बाधित नहीं था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश–7 नियम 11 क्लोज डी के आधार पर अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। यदि अपीलान्ट पारिवारिक सजरा के मुताबिक लतीफ खां के जीवनकाल में ही विवादित आराजी के मामले में पुश्तैनी आराजी में अपना जन्म से ही अधिकार होने के आधार पर वाद प्रस्तुत करते तो वह वाद विधि के द्वारा वर्जित था क्योंकि मुस्लिम विधि में पुश्तैनी आराजी का कॉनसेप्ट (धारणा) नहीं है परन्तु अपीलान्ट ने विवादित आराजी के मामले में आराजी पुश्तैनी बताते हुये उत्तराधिकार के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर उचित गोर न फरमाकर अवैधानिक व निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने मुस्लिम विधि के प्रावधानों पर उचित गोर न फरमाकर एवं रेस्पो० द्वारा प्रस्तुत नजीरों पर उचित गोर न फरमा कर निर्णय जेर अपील पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट के द्वारा विवादित आराजी में अपना हक व अधिकार होने के आधार पर दावा किया है मुस्लिम विधि में वर्णित उत्तराधिकार के प्रावधानों के आधार पर अपीलान्ट का विवादित आराजी पर हक व अधिकार बनता है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत वाद को प्रारम्भिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के यह मान लिया कि अपीलान्ट द्वारा चाहा अनुतोष मुस्लिम विधि एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों से वर्जित है और यह मानकर वाद पत्र खारिज कर दिया जो अवैधानिक है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.05.2024 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमान्ड किया जावे कि वह सभी पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर जवाब दावा लेकर तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेकर विधि सम्मत तरीके से प्रकरण का पुनः निस्तारण करें।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अपीलान्ट/वादीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के यहां एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर. टी. एक्ट के तहत पेश कर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निवेदन किया कि ग्राम डग, तहसील गंगधार मे दावे के पैरा क्रम 1 में वर्णित 25 बीघा 9 बिस्वा आराजी स्थित है एवं दावे में बताया गये सजरे के अनुसार ही वजीर खां का पुत्र याकूब खां था, जिसके 4 लडके एक पुत्री थी, पुत्री न्योजान फोत हो चुकी है, वादीगण याकूब के पुत्र लतीफ के पुत्र एवं पुत्री है। वादग्रस्त आराजी मे वादीगण का 1/4 हिस्सा निहित है, याकूब खां फोत हो चुका है, और लतीफ खां भी फोत हो चुका है। उक्त अनुसार वादग्रस्त आराजी मे वादीगण का 1/4 हिस्से के हक व अधिकारी है, परन्तु दौराने सेटलमेन्ट उक्त आराजी अकेले याकूब के लडके हाफीज खां ने अपने खाते दर्ज करवा ली, आराजी पूर्वमुखी है और उत्तराधिकार के आधार पर अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा बनता है और इस आधार पर वादीगण अपना 1/4 हिस्सा घोषित करवाकर पृथक करवाने के अधिकारी है। दौराने दाबा सुनवायी तलबी की स्टेज पर प्रतिवादीगण क्रम 1, 7, 14, 15 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 रूल 11 एवं 151 सी. पी. सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने पैतृक भूमि में हिस्सा लेने के लिए वाद पेश किया है। मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पत्ति की धारणा नहीं है। दावा प्रथम दृष्टया पोषणीय नहीं है, अतः वाद खारिज फरमाया जाये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो की सुनवायी कर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी. पी. सी. स्वीकार कर दिनांक 08.05.2024 को अपीलान्ट का दावा खारिज कर दिया इसलिये अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.05.2024 विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी/रेस्पीडेन्ट क्रम 7, 14, 15 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. एवं धारा 151 सी.पी.सी. कानूनी प्रावधानो के विपरीत स्वीकार कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज करने में त्रुटि की है। अपीलान्ट के द्वारा विवादित कृषि भूमि 21 बीघा 9 विस्वा के मामले में घोषणा एवं बंटवारे का वाद प्रस्तुत किया गया था जिसकी सुनवायी का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को ही था और दोनो पक्षों की सुनवायी एवं साक्ष्य के बाद ही प्रकरण का निर्णय करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी के द्वारा जो प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. प्रस्तुत किया गया है जिसमे मुख्य रूप से यह आलेखित किया गया था कि मुस्लिम रिती ने पैतृक सम्पत्ति की धारणा नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय ने इसी बिन्दु को आधार बनाकर निर्णय जेर अपील पारित किया गया है, जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावे की प्लीडिंग पर उचित गौर नहीं फरमाया अपीलान्ट वादी के द्वारा केवल दावे में यह कथन किया था कि विवादित आराजी अपीलान्ट के पूर्वजों के खाते की है जैसा कि दावे के पैरा क्रम 2 में सजरे का अंकन किया गया है उसके मुताबिक नजीर खां फोत हो गया, याकूब खां फोत हो गया और अपीलान्ट के पिता लतीफ फोत हो गया, तो उत्तराधिकार के आधार पर इस विवादित जमीन मे मुताबिक सजरा अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा बनाता है जिसकी घोषणा एवं बंटवारे का वाद माननीय न्यायालय में ही पोषणीय था एवं अपीलान्ट के द्वारा अपने हक व अधिकारों की घोषणा करने के लिए वाद प्रस्तुत करने की राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय शुडयूल में कोई मियाद भी निर्धारित नहीं है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय ने पुश्तेनी सम्पत्ति की गलत व्याख्या कर यह मानकर निर्णय जेर अपील पारित किया है कि मुस्लिम विधि में पुश्तेनी आधार पर अधिकारों की घोषणा के लिये उपधारणा नहीं है यदि अपीलान्ट अपने पिता के जीवित रहते या दादा के जीवित रहते पुश्तेनी आधार पर जन्मसिद्ध अधिकार होने के आधार पर वाद प्रस्तुत करता तो अपीलान्ट का वाद मुस्लिम विधि मे पुश्तेनी आराजी का कोन्सेप्ट नहीं होने का कानून लागू होता परन्तु अपीलान्ट ने अपने वाद पत्र में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया कि अपीलान्ट को अपने पिता या दादा के जीवनकाल में पुश्तेनी आराजी होने के आधार पर 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर कोई उचित गौर नहीं फरमाया। यह निर्विवाद है कि अपीलान्ट के दादा याकूब खां व पिता हफीज खां की मृत्यु हो चुकी है, ऐसी स्थिति में मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विवादित आराजी सजरे के मुताबिक अकेले अफीज खां के खाते दर्ज नहीं की जा सकती, मुस्लिम विधि के तहत दादा व पिता की मृत्यु हो जाने के कारण विवादित आराजी में अपीलान्ट का मुस्लिम कानून के तहत 1/4 हिस्सा बनता है ऐसी स्थिति में 1/4 हिस्सा घोषित करा एवं बंटवारा कराने का अधिकारी है, और इस कारण विवादित मामले में आर्डर 7 रूल 11 एवं धारा 151 सी. पी. सी. के प्रावधान लागू नहीं होते है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो भी नजीरें प्रस्तुत हुयी जिसमे यह तथ्य साबित है कि पिता के जीवनकाल में पुत्र या पुत्रियों को उत्तराधिकार प्राप्त करने की कोई उपधारणा नहीं है। इस मामले में निर्णय में वर्णित नजीर आर. आर. टी. 2017(2) पेज 803 का अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से कोई अवलोकन नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नजीर 1982 ए. आई. आर., पटना 89 पर भी उचित गौर नहीं फरमाया, इसमे भी मुस्लिम पुत्र के द्वारा पिता के जीवनकाल में हक मांगने सम्बन्धित मामला था, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने नजीरों पर उचित गौर नहीं फरमाकर निर्णय व जेर अपील पारित किया है। जबकि यह दोनो नजीरे भी रेस्पोडेन्ट के मामले में चस्पा नहीं होती है। दोनो नजीरे पिता के जीवनकाल में हक व अधिकार मांगने हेतु सम्बन्धित है, परन्तु अपीलान्ट का प्रकरण भिन्न है। इस प्रकार यह निर्विवाद है कि विवादित मामले में दावे में वर्णित पैरा क्रम 2 में वर्णित सजरा के मुताबिक याकूब खां की मृत्यु हो चुकी है और अपीलान्ट के पिता लतीफ खां की भी मृत्यु हो चुकी है ऐसी स्थिति में आराजी पूर्वजो की होने के कारण विवादित मामले में उत्तराधिकार के प्रावधान लागू होते है इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 40 पर उचित गौर नही फरमाया जो अवैधानिक है। अपीलान्ट को उक्त विवादित आराजी के मामले में हक व अधिकार प्राप्त होगे या नहीं यह बिन्दु बाद साक्ष्य ही तय किया जा सकता है। इस बिन्दु का निर्धारण प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत नही किया जा सकता।

यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानो पर उचित गौर नहीं फरमाया। अपीलान्ट ने अपने पिता व दादा के जीवित होते हुए अपने हक व अधिकारो की घोषणा का वाद प्रस्तुत नहीं किया, ऐसी स्थिति में विवादित मामले में पुश्तेनी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आराजी में जन्म से अधिकार की उपधारणा मुस्लिम विधि मे नहीं होने के आधार पर निर्णय जेर अपील पारित किया है। जबकि प्रकरण के तथ्य भिन्न है अपीलान्ट/वादी ने अपने दादा व पिता की मृत्यु के बाद अधीनस्थ न्यायालय में अपने अधिकारो की घोषणा एवं बंटवारे का वाद प्रस्तुत किया है जिसे आदेश 7 रूल 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत खारिज नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.05.2024 निरस्त फरमाया जावे एवं रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. एवं धारा 151 सी.पी.सी. खारिज फरमाया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमान्ड किया जावे कि वह नियमानुसार शेष पक्षकारान प्रतिवादीगण की तलबी की जाकर जवाबदावा साक्ष्य लेकर तनकीयात कायम करते हुए विधि सम्मत तरीके से प्रकरण का निस्तारण करे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 803, आर.आर.टी. 2022–23 (सप्ली.) पेज 717, आर. आर.टी. 2024 (1) पेज 622, आर.आर.टी. 2025 (2) पेज 822, व कृषि भूमि के नामान्तरण की विधि एवं प्रकिया पेज 148 की नजीर उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने लिखित बहस में अंकित किया कि यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के निर्णय दिनांक 08–05–2024 की अप्रसन्नता से अपीलान्टान द्वारा सम्माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावा खारिज करने का निर्णय पारित किया है उसको निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टान ने एक वाद धारा 53, 88, 188 आर०टी०ए० के तहत रेस्पो० के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि ग्राम डग, तहसील गंगधार में वाद वर्णित 25 बीघा 9 बिस्वा भूमि वजीर पुत्र फेज खां जी के नाम दर्ज चली आ रही थी। इस कारण वजीर खां की मृत्यु के बाद उनके चारों वारिसान के नाम दर्ज होनी चाहिये थी, विवादित भूमि पेतृक भूमि है इस कारण वादीगण का उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा है। जिसके वे खातेदार घोषित होने के अधिकारी है क्योकि उक्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय में दौराने वाद प्रतिवादीगण रेस्पो० द्वारा आर्डर 7 रूल 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि याकुब खां की नहीं है। इस कारण याकुब खां की मृत्यु के बाद भी उत्तराधिकार की मुस्लिम विधि लागू नही होती है। विवादित भूमि वजीर खां के खाते में दर्ज थी जो उनकी स्वअर्जित भूमि थी और वजीर खां ने अपने जीवनकाल में ही अपने पोत्र अब्दुल हफीज को सेटलमेन्ट के दौरान अपनी स्वयं की इच्छा से खाते दर्ज करवायी है। उक्त भूमि वजीर खां की स्वअर्जित भूमि थी जिसको अब्दुल हफीज के खाते दर्ज कराने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व सम्वत् 2001–2002 में ही अब्दुल हफीज के खाते दर्ज होकर निरन्तर कब्जे काश्त मे चली आ रही थी। विवादित आराजी में अपीलान्टान का किसी प्रकार का हक व हिस्सा व स्वत्व नही है और न कभी कब्जा रहा है। मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पति की कोई अवधारणा नहीं है। न्यायिक दृष्टात 1982 ए.आई.आर. पटना 89 एवं 207 (2) आर.आर.डी. पेज 803 स्पष्ट है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

इस आधार पर वाद, वाद विधि द्वारा वर्जित है जिसे सही तोर पर खारिज किया गया है। पक्षकारान मुस्लिम सम्प्रदाय के हैं। मुस्लिम विधि में किसी मुस्लिम व्यक्ति को सम्पति में जन्म से कोई भी अधिकार प्राप्त नही होता है। एक मुस्लिम सदस्य को उसके जीवनकाल में उसके किसी पुत्र या पुत्री को अपना हिस्सा प्राप्त करने व बंटवारा कराने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही होता है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी विधि सम्मत तरीके से खारिज किया गया है। उक्त भूमि कभी भी याकूब खां पुत्र वजीर खां के खाते दर्ज नहीं रही। फिर याकुब की मृत्यु के बाद उसके चारों पुत्रों व पुत्री के नाम उत्तराधिकार में किसी भी प्रकार दर्ज नहीं हो सकती है तथा वादीगण का कोई हिस्सा नहीं बनता है। अब्दुल हफीज पुत्र याकूब खां को वादग्रस्त आराजी अपने पिता याकूब से प्राप्त नहीं हुई और वादग्रस्त आराजी कभी भी याकूब खां के नाम दर्ज नहीं रही। इस कारण अपीलान्टान व याकूब खां के वारिसान का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। विधि के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने जीवनकाल में वसीयत करने का अधिकार प्राप्त है। इसी अधिकार के तहत खातेदार वजीर खां पुत्र फेज खां जो याकूब के पिता है, ने अपने पौत्र अव्दुल हफीज के खाते दर्ज करवायी है, जो विधि सम्मत है। इस प्रकार उक्त भूमि कभी भी याकूब खां के खाते दर्ज नहीं रही। हनीफ मुस्लिम विधि में दादा से पोते का प्राप्त सम्पति पर विरासत व उत्तराधिकार लागू नहीं होता है, केवल दादा से पिता को प्राप्त सम्पति पर ही उत्तराधिकार का सिद्धान्त लागू होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अब्दुल हफीज को वादग्रस्त उसके पिता याकूब से प्राप्त न होकर उसके दादा वजीर से प्राप्त हुई है। इसलिये याकूब की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी पर उत्तराधिकार लागू नहीं होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 से लागू हुआ था, जबकि वादग्रस्त आराजी काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व सम्वत् 2001–2002 में ही अब्दुल हफीज के खाते दर्ज होकर निरन्तर कब्जे काश्त में चली आ रही है। अतः वादी का वाद वर्जित होने के कारण सही रूप से प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया है। जो विधि सम्मत है। अपीलान्टान ने वाद पत्र में अंकित किया है कि विवादित आराजी याकूब पुत्र वजीर खां की पैतृक सम्पति मान कर चारों पुत्रों का एक समान 1/4, 1/4 हिस्सा निहित मानते हुये खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जबकि वास्तव में भूमि कभी भी याकूब खां के खाते व कब्जे में नहीं रही, इस कारण वादीगण अपीलान्टान किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अब्दुल हफीज खां का नाम सम्वत् 2001 व 2002 यानि वर्ष 1945–46 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज था तथा अब्दुल हफीज मृत्यु के बाद उनके वारिसान प्रतिवादीगण के खाते सही रूप से दर्ज की गयी है तथा उनका कब्जा चला आ रहा है। इस कारण अपील किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है। वादीगण अपीलान्टान को किसी प्रकार वाद पेश करने का कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ तथा वाद अवधि बाधित 72 वर्षों के बाद पेश किया गया है। इस कारण वाद मेनटेनेबल नहीं होने से सही तोर पर अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया गया है। अतः रेस्पो० द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस कन्सीडर फरमाई

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जाकर अपील अपीलान्टान खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–05–2024 को पुष्ट किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांटगण द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दावा पेश कर कथन किया कि ग्राम डग, तहसील गंगधार में जमाबंदी संख्या नई 41 संवत 2068 से 2071 में कुल 14 किता की 21.09 बीघा आराजी स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी नं. 26 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 1 लगायत 17 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 18 से 24 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 15 का 1/4 हिस्सा है। वादग्रस्त आराजी वजीर खां के खाते व कब्जे की पुश्तैनी आराजी है जो वजीर खां के खाते में थी। वजीर खां के पौत्र एवं याकूब खां के पुत्र हफीज खां ने सैटलमेंट अधिकारियों से मिलकर वादग्रस्त आराजी सीधे ही वजीर खां के स्थान पर स्वयं (हफीज खां)के नाम दज्र करवा जी और हफीज खां की मृत्यु के बाद प्रतिवादी नं. 1 लगायत 17 के नाम वर्तमान में दर्ज है, जबकि वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्से से अधिक हिस्से पर प्रतिवादी नं. 1 ता 17 का कोई हक अधिकार स्वत्व निहित नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 26 वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्से पर वर्षों से उनके पूर्वजों के समय से ही काबिज चले आ रहे हैं व आज भी काबिज हैं। अतः वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 26 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी का रेकार्ड एवं मौके पर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी का बंटवारा कर वादीगण के हिस्से की आराजी अलग खाते दर्ज की जावे एवं प्रतिवादी नं. 1 ता. 17 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी में वादीगण के हिस्से पर मदाखलत व मजाहमत नहीं करें।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 1, 7, 14, 15 की ओर से जर्ये अधिवक्ता दिनांक 27.03.2024 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. सपठित धारा 207 पेश कर कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सुन्नी मुस्लिम है, वादीगण वादग्रस्त पैतृक भूमि में हित हिस्सा लेने हेतु मौजूदा वाद पत्र प्रस्तुत किया है, मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पत्ति की धारणा नहीं है। वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है। अतः निवेदन है कि मौजूदा वाद पत्र प्रथम दृष्टया ही पोषनीय नहीं है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के पिता हफीज खां पुत्र याकूब खां की कायम शुदा भूमि है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.05.2024 से विवादित आराजी के संबंध में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व आदेश 151 सी.पी.सी. सपठित धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया गया जिससे अप्रसन्न होकर वादीगण अपीलांटगण द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन अनुसार विवादित आराजी मुस्लिम जाति के खातेदार की कृषि आराजी है तथा वादीगण अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर वाद पत्र की मद नं. 4, 7 एवं 8 में विवादित आराजी को पुश्तैनी आराजी होना अंकित करते हुए दावा पेश किया है। वाद पत्र के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि वादीगण अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी को याकूब पुत्र वजीर खां की पैतृक सम्पत्ति मानकर चारों पुत्रों का 1/4, 1/4 हिस्सा निहित मानते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं बंटवारे हेतु दावा पेश किया है। मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पत्ति की धारणा नहीं है। एक मुस्लिम व्यक्ति की सम्पूर्ण सम्पत्ति उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति मानी जाती है। जिसमें उसके वारिसान को जन्म से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। वाद पत्र की मद नं. 4 व 5 में वादीगण अपीलांट द्वारा अंकित कथनों के अनुसार वादग्रस्त आराजी वजीर खां से सीधे हफीज खां के खाते दर्ज हुई। विवादित आराजी याकूब खां के नाम कभी दर्ज नहीं हुई। यदि विवादित आराजी वजीर खां के पुत्र याकूब खां के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होती तो याकूब खां की मृत्यु के बाद उसके चारों पुत्रों एवं पुत्री को उत्तराधिकार में हक व अधिकार प्राप्त होते। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल के अनुसार विवादित आराजी संवत 2002 अर्थात सन 1945–46 में ही अब्दुल हफीज पुत्र याकूब खां, जाति मुसलमान के खाते दर्ज हो चुकी थी और अब्दुल हफीज की मृत्यु के बाद विरासत में उसके वारिसान के नाम दर्ज हुई है।

वादीगण अपीलांट विवादित आराजी जो अब्दुल हफीज पुत्र याकूब खां को अपने दादा वजीर खां से प्राप्त हुई है, में अपने पिता याकूब खां की पैतृक सम्पत्ति मानते हुए 1/4 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं बंटवारे का अनुतोष प्राप्त करना चाहते हैं, जो वाद पत्र के प्रथम दृष्टया अवलोकन से ही मुस्लिम विधि द्वारा वर्जित होने के कारण देय योग्य नहीं है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत वाद पत्र के अभिकथन के आधार पर वाद को मुस्लिम विधि के प्रावधानों से वर्जित मानते हुए वादीगण अपीलांट का वाद आर्डर 7 नियम 11 (डी) के तहत खारिज किया है। वादीगण अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र की मद नं. 4 से 8 के अवलोकन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होने के कारण हम अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/1/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा